न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 40/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/91

1. श्री वेणा पिता कना भील निवासी रख्यावल तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री छगा पिता दला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री कमला पिता दला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री चुन्नीलाल पिता मेघा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. श्री नारायण पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली। **(तर्क किया)**
5. श्री गणेश पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्री केशु पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
7. श्री शंकर पिता कमला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
8. श्री मदन पिता गणेश डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
9. श्रीमती गंगाबाई पत्नी छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
10. श्रीमती गमानीबाई पत्नी कमला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
11. श्रीमती लीलाबाई पत्नी चुन्नीलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
12. श्रीमती सीमा पत्नी गणेशलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
13. श्रीमती चुन्नी पत्नी नारायण डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
14. श्रीमती उदीबाई पत्नी केसु डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
15. श्रीमती गुड्डी पत्नी शंकर डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
17. श्रीमती रम्भा पुत्री दल्ला डांगी निवासी रख्यावल हाल लोलडों का गुडा तह. देलवाडा।
18. श्रीमती धापुबाई पुत्री दल्ला डांगी निवासी रख्यावल हाल भैंसडाकलां तह. गिर्वा।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 21.07.2023

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 2198/2028 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीग[illegible] [illegible]ंद कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 17, 18 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी ने कथित वाद पत्र मय स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मौके व रेकार्ड की वास्तविक स्थिति को छिपाकर माननीय न्यायालय को अंधेरे व मुगालते में रखकर षडयंत्र पूर्वक निषेधाज्ञा प्राप्त करने की नियत से ही प्रस्तुत किये गये है जबकि प्रार्थी/वादी का प्रकरण निषेधाज्ञा का नहीं होकर आराजी नम्बर की राजस्व अभिलेख में गलत फिडिंग का है इसलिए प्रार्थी का प्रकरण धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत करना चाहिए था चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अंकित आराजी नम्बर के मूल आराजी नम्बर 2028 होकर सरकारी बिलानाम जमीन थी उक्त साबिक आराजी संख्या 1270 से बने हुए है तथा इस तरह उक्त भूमि परागंत रूप से वादी की पैतृक सम्पति नहीं थी, न ही पूर्व के राजस्व नक्शें में वर्तमान राजस्व नक्शें अनुसार आराजी नम्बर की फिडिंग थी। इस प्रकार मौके व रेकार्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार उक्त सरकारी मूल आराजी संख्या 2028 में कई कब्जेधारी मौके पर काबिज थें जिस वजह से बन्दोबस्त से पूर्व उक्त मूल आराजी संख्या में आंवटियों को मूल आराजी नम्बर के बट्टे नम्बर बनाकर खाते में तो चढा दिये गये लेकिन राजस्व नक्शें में आवंटित बट्टे नम्बर की फिडिंग नहीं की गई बट्टे नम्बर का विवरण इस प्रकार है कि (अ) आराजी नम्बर 2196/2028 केसुदास वैरागी व उसके निधन के बाद उनके वारिसान नन्दराम, परसराम व भंवरदास वैरागी साधु के नाम पर नामान्तरित हुई तथा उन्होने उक्त भूमि दिनांक 07.07.1984 को विक्रय पत्र में पडौस अंकित करते हुए प्रतिवादी के पिता को बिकाव कर दी। (ब) आराजी संख्या 2198/2028 वादी की माता नोजी बेवा कन्ना भील को आंवटित की। (स) आराजी संख्या 2201/2028 गोविन्दा भील को। (द) आराजी संख्या 2195/2028 मानाजी भील को। (य) आराजी नम्बर 2197/2028 चेनसिंह राजपूत को। जो बाद में कुछ भाग रता, उदा पिता मानाजी को विक्रय कर दी जो वर्तमान में धुलीराम डांगी व उनके पिता रत्ता जी के कब्जे में है तथा कुछ भाग उदा पिता नवा जी डांगी को विक्रय कर दी जो वर्तमान में भरत डांगी के कब्जे में हैं। (र) आराजी संख्या 2200/2028 जगा पिता देवा व मोटा पिता देवा भील को। (ल) आराजी संख्या 2202/2028 माना पिता धन्ना भील को। (व) आराजी संख्या 2203/2028 प्रतिवादीगण के पिता, दादा दल्ला पिता उंकार डांगी को। (श) आराजी नम्बर 2199/2028 जग्गा पिता देवा भील को। (ष) आराजी नम्बर 2194/2028 मेघा पिता नंगा वगैराह के पूर्वज को।

2. दल्ला पिता उंकार ने केशुदास वैरागी के वारिसान से खरीदी है उस विक्रय पत्र में जो पडौस अंकित कर रखे है के निम्न प्रकार है :– पूर्व–ओपा पिता मोती गमेती की जमीन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

पश्चिम–रता उदा पिता माना डांगी की जमीन, उत्तर–जग्गा, मोटा पिता देवा भील एवं माना जी भील की जमीन, दक्षिण–आम सडक। उक्त पडौसों वाली भूमि को खेतनामी साधु वाला के नाम से जाना जाता है तथा विक्रय पत्र में भी उक्त पडौसों वाली भूमि के आराजी संख्या 2196/2028 अंकित किये हुए है जो उक्त पडौसों वाली जमीन के वास्तविक आराजी संख्या है तथा राजस्व नक्शें में भी उक्त पडौसों वाली भमि के आराजी संख्या 2198/2028 की बजाय 2196/2028 अंकित होने चाहिए थें तथा जिसकी दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र भी श्रीमान् न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन हैं।

3. इसी तरह उक्त मूल आराजी संख्या 2028 में ही वादी मौके पर अपने पूर्वज मूल आंवटी के समय से काबिज है जिसके पडौस काउन्टर क्लेम की कलम संख्या 2 में अंकित कर रखे है जो इस प्रकार है :– पूर्व–देवा, कुका, छगा पिता माना जी भील की जमीन, पश्चिम–जगा, मोटा भील व अन्य की जमीन, उत्तर–कुका पिता भोला एवं धन्ना भील की इन्द्रा कॉलोनी एवं उसके बाद सी.सी. रोड, दक्षिण–माना पिता धन्ना, जगा भील एवं कुछ सीमा तक प्रतिवादीगण की जमीन।

4. प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार मावली (लैंड रिकार्ड ऑफिसर) को राजस्व नक्शें में सभी आंवटियों के बैठे अनुसार आराजी नम्बर की फिडिंग व दुरूस्ती करने हेतु पेश किया गया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारी से मौके व रेकार्ड की वास्तविक स्थिति मंगवाई गई जो दिनांक 01.06.2022 को संयुक्त जांच रिपोर्ट तहसीलदार साहब मावली के कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

5. यह कि इसी तरह प्रतिवादीगण ओर से जनवरी 2022 में वादी व उनके पुत्र व अन्य लोगों के विरूद्व उक्त खरीदशुदा भूमि में जबरन ट्रेस पास कर नुकसान पहुंचाने का मुकदमा पुलिस थाना घासा में दर्ज कराया गया उस मुकदमें में भी पुलिस उपअधीक्षक द्वारा बाद जांच यह स्पष्ट तौर से अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण की कब्जे व आधिपत्य वाली भूमि जो प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी गई है उसमें आरोपी यानि (वादी वेणा) का कभी भी इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आरोपी जबरन कब्जा करने की नियत से प्रतिवादीगण की कब्जे व खरीदशुदा भूमि में ट्रेक्टर व जे.सी.बी. लेकर अतिचार कर नुकसारन पहुंचाया है तथा बाद जांच पुलिस द्वारा वादी वेणा गमेती व उसके पुत्र पेमा गमेती के विरूद्व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली के न्यायालय में धारा 447, 427/34 आई.पी.सी. के तहत् चालान पेश किया गया तथा न्यायालय द्वारा भी प्रथम दृष्टया आरोपी वेणा व उसके पुत्र के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत अपराध बनना पाये जाने से न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया हैं जबकि इसके विपरित वादी के द्वारा जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के विरूद्व रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई उसमें बाद जांच पुलिस उपअधीक्षक ने यह साफ तौर पर अंकित किया है कि प्रकरण में विवादित भूमि पर वादी/फरियादी का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है तथा जो धारा 447 प्रतिवादीगण के विरूद्व से हटा दी गई।

6. यह कि इसलिए वादी दो स्थान पर जमीन हडपने की नियत से ही उक्त प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जबकि वादी को इस बात की पूरी जानकारी है कि राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर की गलत फिडिंग हुई हैं। इसलिए उसको 131, 136 के तहत् कार्यवाही करानी चाहिए थी लेकिन जैसे ही वादी को राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर की गलत फिडिंग की जानकारी हुई तो उसके नियत में फितुर आ गया तथा जाति विशेष के आधार पर प्रतिवादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि को स्थगन की आड में हडपने की नियत से निषेधाज्ञा का यह प्रकरण आप न्यायालय में पेश किया गया है इस तरह वादी का प्रार्थना पत्र कब्जेयाबी के अनुतोष के अभाव में चलने योग्य नहीं हैं।

7. यह कि तहसीलदार मावली द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारी से मौके व रेकार्ड की वास्तविक स्थिति मंगवाई गई जो दिनांक 01.06.2022 को संयुक्त जांच रिपोर्ट तहसीलदार साहब मावली के कार्यालय में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारियों ने मौके व रेकार्ड की फेक्चयुल एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करी जो इस प्रकार है :– उपरोक्त विषयान्तर्गत मौजा रख्यावल के प्रश्नगत आराजी नम्बर 2198/2028 रकबा 1.1979 मुताबिक चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार एवं मौके पर काबिज काश्तकारों में विसंगति हैं। मूल आराजी नम्बर 2028 में से बने अन्य आराजीयात नम्बर 2195/2028, 2196/2028, 2201/2028 में भी रेकार्ड एवं मौके पर खातेदारों की विसंगति हैं। खातेदारों द्वारा प्रस्तुत खसरा भू माप, चालु भू माप पत्रक से जाहिर होता है कि खातेदारों व कब्जेदारों के मध्य यह विसंगति भू. प्रबन्ध से ही चली आ रही हैं। कि विवादित आराजी नम्बर 2198/2028 के साथ ही चारागाह भूमि, कुंए की भूमि स्थित या सिचिंत की हुई है तथा आसपास के आराजीयात की सीमाएं भी टूटी हुई है इस प्रकार नक्शें, मौके में भी अन्तर है न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है विस्तुत सर्वे किये जाने की आवश्यकता हैं। इसी प्रकार इस जांच रिपोर्ट के साथ ही मौके की व रेकार्ड की वास्तविक स्थिति का नक्शा भी कलर भरकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें संकेत दर्शाया गया है उक्त संकेत के अनुसार जहां पर नीले रंग से नाम अंकित किये गये वो मौके के अनुसार खातेदार बताये गये है इस प्रकार तहसीलदार मावली द्वारा मंगवाई गई संयुक्त जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शें के अनुसार नक्शें में जहां पर आराजी संख्या 2198/2028 अंकित किये हुए है वहां पर मौके के वास्तविक खातेदार प्रतिवादीगण को बताया गया है। दावा दायरी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख को वादी का कब्जा ही नही था तो निषेधाज्ञा हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

8. यह कि वादी ने नियत कानूनी मियाद अवधि में कब्जेयाबी का कोई वाद पत्र या अनुतोष न्यायालय से नहीं मांगा गया है तथा इस तरह वादी को कथित वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता हैं तथा चूंकि वादी का प्रतिवादी के द्वारा खरीदी गई भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आंवटित भूमि के बट्टे नम्बर का राजस्व नक्शें में फिडिंग का पक्षकारान के मध्य विवाद है लेकिन वादी ने राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का कोई वाद पेश नहीं किया है न ही नियत समयावधि में कब्जेयाबी का दावा पेश किया है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक निषेधाज्ञा हेतु उत्पन्न नहीं होता है ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र ही चलने योग्य नहीं होकर आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में उपबन्धित प्रावधानों के तहत् वादी के वाद पत्र को निरस्त फरमाया जावें। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को मय अनुतोष व विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

9. अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के क्षेत्र में नहीं आते है, प्रतिवादीगण ने जिन तथ्यों का प्रार्थना पत्र में अंकन किया है, जो निरर्थक है व इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित नहीं हैं। मालुम होता है कि कथित प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान को बिना देखे ही मनमकसुद तरीके से तैयार कर प्रस्तुत कर दिया है, जो आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान से बाहर हैं।

10. यह कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं यह अंकित नहीं किया है कि वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में दिये गये किस प्रावधान में आता है, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के पठन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.द. के किसी भी प्रावधान में नहीं आता है फिर भी प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के हेडिंग में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का उल्लेख किया है, जो एक हास्याप्रद हैं।

11. यह कि प्रतिवादीगण ने कथित प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रस्तुत किया है व प्रतिवादीण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय का समय जाया किया है व वादी के वाद को लम्बा करने का प्रयत्न किया है, जो भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह मन मकसुद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के समय को जाया नहीं किया जावे व वाद में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं कर सके। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का कथित प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण से वादी को विशेष हर्जे खर्चे के 5000/— रूपये दिलाये जावें।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 17, 18 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी/वादी द्वाा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 17, 18 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी व अन्य खातेदार के नाम दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया हैं। चूंकि वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विवाद तरमीम से सम्बन्धित होना जाहिर होता हैं। वादी द्वारा [illegible] प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता है परन्तु प्रकरण के अवलोकन से वादी द्वारा तरमीम सम्बन्धित गलती को शुद्व किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, इससे यह जाहिर होता है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् तरमीम शुद्धि का अन्य प्रकरण संख्या 20/22 उनवान कमला बनाम वेणा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है यद्यपि उक्त प्रकरण संख्या 20/22 निर्णित हो जाता है तो पक्षकारों के मध्य स्वतः ही विवाद समाप्त हो जायेगा। प्रकरण में संलग्न तहसीलदार मावली की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 की सत्यप्रतिलिपि से भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात के बट्टा नम्बर बनने से एवं मौके एवं रेकार्ड पर खातेदारों की विसंगति हैं जो भू.प्रबन्ध से ही चली आना बताया हैं। चारागाह भूमि, कुंए की भूमि भी स्थित होकर आसपास के आराजीयात की सीमाए भी टूटी हुई हैं। इस प्रकार नक्शें मौके में भी अन्तर होना बताया। अतः मौके एवं रेकार्ड में भिन्नता होने से यदि प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी/प्रतिवादीगणों के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। पुलिस अधीक्षक ने भी प्रकरण में विवादित भूमि पर वादी का भी भी कोई कब्जा नहीं होने के तथ्य की पुष्टि की हैं। अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पोषणीय नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वेणा पिता कना भील निवासी रख्यावल तह. मावली। ....वादी

बनाम्

1. श्री छगा पिता दला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री कमला पिता दला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री चुन्नीलाल पिता मेघा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. श्री नारायण पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली। **(तर्क किया)**
5. श्री गणेश पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्री केशु पिता छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
7. श्री शंकर पिता कमला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
8. श्री मदन पिता गणेश डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
9. श्रीमती गंगाबाई पत्नी छगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
10. श्रीमती गमानीबाई पत्नी कमला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
11. श्रीमती लीलाबाई पत्नी चुन्नीलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
12. श्रीमती सीमा पत्नी गणेशलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
13. श्रीमती चुन्नी पत्नी नारायण डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
14. श्रीमती उदीबाई पत्नी केसु डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
15. श्रीमती गुड्डी पत्नी शंकर डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
17. श्रीमती रम्भा पुत्री दल्ला डांगी निवासी रख्यावल हाल लोलडों का गुडा तह. देलवाडा।
18. श्रीमती धापुबाई पुत्री दल्ला डांगी निवासी रख्यावल हाल भैंसडाकलां तह. गिर्वा।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 40/22 (वाद) GCMS No. : 2022/91

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.07.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested